उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग–1
संख्या–03 / 2022 / 1050 / 53–1099(099) / 26 / 2022
लखनऊ दिनांक 17 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदया द्वारा **'उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022'** को प्रख्यापित किया जाता है।

2– उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022, इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–03 / 2022 / 1050(1) / 53–1099(099) / 26 / 2022,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2– सचिव,पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, भारत सरकार।
3– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7– रधानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
8– दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
9– सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
10– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11– प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29 पार्क रोड, लखनऊ।
12– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
13– वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
14– मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
15– वित (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–1 / 2 / वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1।
16– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	**दृष्टि**	1
2.	**उद्देश्य**	1–2
3.	**दुग्ध उद्योग सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान एवं रियायतों हेतु आच्छादित क्षेत्र**	2–3
4.	**प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं सुविधाएं**	3–7
4.1	पूंजीगत निवेश अनुदान	3
4.2	ब्याज उपादान	3–5
4.2 (क)	नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना	3–4
4.2 (ख)	नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना	4
4.2 (ग)	दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन	4
4.2 (घ)	दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी	4
4.2 (ड.)	कोल्ड चेन की स्थापना	4
4.2 (च)	दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान	4–5
4.2 (छ)	पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान	5
4.2 (ज)	मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पाद बनाने वाली इकाइयों को ब्याज उपादान	5
4.3	बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन प्राविधान	5–6
4.4	मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान	6
4.5	पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान	6
4.6	विद्युत शुल्क	6–7
4.7	स्टाम्प शुल्क	7
5	**मानव संसाधन विकास**	7
6	**डेडिकेटेड पोर्टल एवं डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेण्टर**	8
7	**प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (पी०सी०डी०एफ०लि०) का सुधार (Reform)**	8
8	**दुग्ध नीति का कियान्वयन एवं अनुश्रवण**	9–10
8.1	राज्य स्तरीय इन्पावर्ड समिति	9
8.2	प्रशासकीय विभाग स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु अप्रेजल समिति	9
8.3	मुख्यालय स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु प्री–अप्रेजल समिति	9
8.4	जनपद स्तर पर परियोजना का कियान्वयन एवं अनुश्रवण	9–10
8.5	तकनीकी विशेषज्ञों के समूह का गठन	10
9	**नोडल विभाग**	10
10	**प्रकीर्ण**	10

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022

दुग्ध विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022

1-दृष्टि

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है, जिसका देश के सकल दुग्ध उत्पादन में योगदान लगभग 16 प्रतिशत है। प्रदेश में संगठित क्षेत्र द्वारा मार्केटेबल सरप्लस दुग्ध का लगभग 10 प्रतिशत दुग्ध ही प्रसंस्कृत किया जा रहा है, जबकि भारत का औसत दुग्ध प्रसंस्करण लगभग 17 प्रतिशत है। प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता एवं दुग्ध के मार्केटेबल सरप्लस की मात्रा में बड़ा अन्तर विद्यमान है, जिसका दोहन करने के लिये इस क्षेत्र में नवीन उद्योगों में निवेश की प्रचुर सम्भावना है। बदलते परिवेश में जहाँ एक ओर जनमानस सन्तुलित पोषण की आवश्यकताओं के प्रति सजग है एवं लोगों की प्रयोज्य आय (Disposable income) में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर दुग्ध प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धित उत्पादों के विनिर्माण हेतु नवीन तकनीक एवं कच्चामाल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसके दृष्टिगत निवेशकों एवं उद्यमियों को प्रेरित करते हुए डेयरी क्षेत्र की सम्भावनाओं को धरातल पर उतारने का यह सही समय है। इस प्रयोजन हेतु विद्यमान प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि, तकनीकी उच्चीकरण एवं सूचना तकनीक का उपयुक्त प्रयोग व क्षमता विकास करते हुए डेयरी सेक्टर के समस्त स्टेक होल्डर्स के लिये अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिये उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 प्रख्यापित की जा रही है। इसमें रोजगार सृजन के साथ-साथ पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी एवं प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर अग्रसर होगा।

2-उद्देश्य

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

(i) प्रदेश में दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना

(ii) प्रदेश में अगले पाँच वर्षों में रू0 5000 करोड़ के पूंजी निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करना

(iii) दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध का बाजार आधारित लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना

(iv) प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक ले जाना एवं दुग्ध प्रसंस्करण की स्थापित क्षमता (Installed capacity) को मार्केटेबल सरप्लस के 44 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करना।

(v) उच्च गुणवत्ता के प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पादों को उपभोक्ताओं को सुलभ कराना

(vi) बाजार विकास तथा अन्य राज्यों व देशों के निर्यात को बढ़ावा देना

(vii) दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में नये रोजगार के अवसर सृजित करना एवं उपलब्ध मानवशक्ति की दक्षता एवं कौशल का विकास/उच्चीकरण करना

(viii) नवीन तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधान (Information technology based solutions)को प्रोत्साहित करना

(iX) बाजार अभिसूचना (Market Intelligence) के संग्रहण एवं तकनीकी परामर्श हेतु सशक्त डाटाबेस का विकास एवं प्रबन्धन किया जाना एवं तद्हेतु ढाँचा विकसित किया जाना

(X) प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितियों, दुग्ध संघों एवं प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (पी0सी0डी0एफ0लि0) का सुधार (Reform) किया जाना

(Xi) निवेशकों की सुविधा के लिये प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाना

3-दुग्ध उद्योग सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान एवं रियायतों हेतु आच्छादित क्षेत्र

विभिन्न एफ0पी0ओ0 (Farmer Producer's Organization)/ एम0पी0सी0 (Milk Producer's Companies) प्रदेश की सहकारी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र के उद्यमियों को, जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाय, निम्न क्षेत्रों में लाभान्वित किया जाएगा-

(i) नवीन (Greenfield) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना

(ii) विद्यमान दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई (Brownfield) की क्षमता का विस्तार (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि)

(iii) गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं हेतु नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई (Cattle Feed & Cattle Nutritional Products Manufacturing Unit) की स्थापना अथवा विद्यमान पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की क्षमता विस्तार (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि)

(iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद जैसे चीज, आइसक्रीम इत्यादि का विनिर्माण करने वाली नवीन इकाई की स्थापना

(v) नवीन डेयरी तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी यथा ट्रेसेबिलिटी (Traceability) के उपकरणों एवं सहवर्ती साफ्टवेयर जैसे स्काडा (SCADA) सिस्टम की स्थापना

(vi) कोल्ड चेन की स्थापना हेतु दुग्ध अवशीतन केन्द्र (Milk Chilling Center) के उपकरण, बल्क मिल्क कूलर, रेफ्रिजरेटेड वैन/ कूलिंग वैन/रोड मिल्क टैंकर, आइसक्रीम ट्रॉली इत्यादि का क्रय

4- प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं सुविधाएं

4.1 पूंजीगत निवेश अनुदान

प्रदेश के समस्त जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों की स्थापना अथवा विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में ही) के लिये प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पार्ट्स की लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

4.2 ब्याज उपादान

(क) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना

नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक

दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 10.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ख) नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना

नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 7.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ग) दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन

विद्यमान डेयरी प्लान्ट में तकनीकी उन्नयन जैसे स्काडा सिस्टम, न्यू जेनरेशन तकनीक की मशीनरी एवं उपकरण आदि की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(घ) दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी

डेयरी प्लांट के बाहर फील्ड में ट्रेसेबिलिटी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण जैसे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (कोल्ड चेन के अतिरिक्त) हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षो हेतु अधिकतम रू0 1.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ड.) कोल्ड चेन की स्थापना

रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि कोल्ड चेन प्रणाली की स्थापना एवं क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 1.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(च) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान

मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05

प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(छ) पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान

मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में प्लान्ट एवं मशीनरी पर लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ज) मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद बनाने वाली इकाईयों को ब्याज उपादान

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद जैसेः-चीज, आइसक्रीम आदि का विनिर्माण करने वाली इकाईयों को प्लान्ट मशीनरी की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

4.3- बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन प्राविधान

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों को विपणन के लिए बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित अनुदान एवं रियायतें उपलब्ध करायी जायेगीः-

(i) राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु एयरपोर्ट/समुद्री पोर्ट तक उत्पाद परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत, जो रू0 20 लाख प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक 03 वर्षों तक प्रति लाभार्थी अनुदान देय होगा।

(ii) राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु जलयान/वायुयान से प्रेषण हेतु उत्पाद की एफ0ओ0बी0 (Freight on Board) मूल्य का 20 प्रतिशत, जो अधिकतम रू0 40 लाख प्रतिवर्ष की दर से 03 वर्षों तक अनुदान देय होगा।

(iii) प्रदेश में स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य देशों में उत्पाद का नमूना (सैम्पल) प्रेषित करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत, जो अधिकतम रू0 5.00 लाख प्रति लाभार्थी अनुमन्य होगा। यह अनुदान एक इकाई को एक देश एवं एक नमूना तक सीमित होगा।

4.4-मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों, पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाईयों व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से सम्बन्धित मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरण प्रमाणीकरण एवं एक्रीडिटेशन जैसे आई0एस0ओ0-14001, आई0एस0ओ0 22000, एच0ए0सी0सी0पी0 तथा सेनेट्री/फाइटोसेनेट्री सर्टिफिकेशन आदि हेतु राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गयी फीस और टेस्टिंग चार्ज के सापेक्ष 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.0 लाख अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी। मानकीकरण प्रोत्साहन, नीति की अवधि में प्रमाणन/पंजीकरण के आधार पर दिया जायेगा।

4.5-पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान

दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों, पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाईयों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) से सम्बन्धित मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाईयों द्वारा पेटेन्ट/डिजाइन के पंजीकरण हेतु दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अधिकृत संगठनों/संस्थानों को भुगतान की गयी फीस का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.00 लाख अनुदान प्रतिपूर्ति एक बार देय होगी। यह प्रोत्साहन नीति की अवधि में पेटेण्ट/ डिजाइन पंजीकरण के आधार पर दिया जायेगा।

4.6-विद्युत शुल्क

नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को 10 वर्ष की अवधि में भुगतान किये गये विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति विद्युत विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का ऑकलन

उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी। यह प्रतिपूर्ति केवल राज्य विद्युत वितरण कंपनियों या विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों से विद्युत खरीद पर ही की जायेगी।

4.7-स्टाम्प शुल्क

इस नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु क्रय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर भुगतान की गयी स्टाम्प शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति स्टाम्प विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का ऑकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी।

इस नीति के अन्तर्गत प्रस्तावों की पात्रता के निर्धारण में प्रथम आवक व प्रथम पावक के सिद्धान्त को प्रस्तर-3 में उल्लिखित क्षेत्रवार/श्रेणीवार ध्यान में रखा जायेगा, जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाय। 'पहली' परियोजनाएं वे होंगी जिन्हे नीति और बाद के सरकारी आदेशों के अनुसार प्रोत्साहनों की मंजूरी के लिए अनुमोदित किया गया है। प्रोत्साहन का भुगतान इकाई का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद किया जायेगा।

5-मानव संसाधन विकास

(i) डेरी क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग बदलते हुए बाजार परिदृश्य में अतिआवश्यक हो गया हैं। इस उद्देश्य हेतु दुग्ध उत्पादकों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, नस्ल सुधार इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ii) दुग्ध उद्योग से सम्बन्धित सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों, फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (एफ0पी0ओ0)/ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज (एम0पी0सी0) एवं सहकारी संस्थाओं के प्रबन्धकों, प्रोफेशनल्स एवं कर्मचारियों के तकनीकी एवं वित्तीय दक्षता उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(iii) उक्त प्रशिक्षण प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त शासकीय/अर्धशासकीय प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा, जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाय।

6- डेडीकेटेड पोर्टल एवं डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर

(i) इस नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु दुग्ध विकास विभाग द्वारा एक डेडीकेटेड पोर्टल संचालित किया जायेगा। उक्त पोर्टल उद्योग बन्धु/निवेश मित्र आदि सुसंगत पोर्टलों से इन्टीग्रेटेड रहेगा, जिससे कि एक आवेदक विभिन्न विभागों में अलग-अलग आवेदन न कर सके। दुग्ध नीति के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा समस्त आवेदन इस पोर्टल पर किये जायेंगे तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(ii) इस नीति के क्रियान्वयन में टेक्निकल सपोर्ट एवं डेटा एनालिटिक्स आधारित क्रियाकलाप हेतु डेटाबेस मैनेजमेंट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना मुख्यालय स्तर पर दुग्ध आयुक्त कार्यालय में की जायेगी। यह सेंटर विषय विशेषज्ञों, डोमेन एक्सपर्ट्स के सहयोग से संचालित किया जायेगा तथा जिला एवं राज्य स्तर उद्योगबंधु से समन्वय बनाये रखेगा। आवेदकों द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये आवेदन को इस सेन्टर द्वारा परीक्षण करते हुए मुख्यालय स्तर पर गठित प्री-अप्रेजल समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।

7- प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (पी0सी0डी0एफ0लि0) का सुधार (Reform)

7.1- पी0सी0डी0एफ0लि0 के सुधार (Reform) हेतु अन्य प्रगतिशील सहकारी संस्थाओं अथवा निजी संस्थाओं के पार्टनरशिप में लाभकारी रूप से संचालित करने हेतु विभिन्न विकल्प तलाश किये जायेंगे एवं इस संस्था का सुधार किया जायेगा।

7.2- पी0सी0डी0एफ0लि0 के सुधार (Reform) के उद्देश्य से पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया जायेगा एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

7.3- दुग्ध समितियों द्वारा संग्रहीत किये जा रहे दुग्ध की विपणन व्यवस्था को उदार बनाया जायेगा, परन्तु दुग्ध आपूर्ति की प्रथम प्राथमिकता दुग्ध संघ को होगी।

8- दुग्ध नीति का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

8.1- राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत प्राविधानों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति गठित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाय। सुसंगत विभागों के प्रभारी सचिव इसके सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त सहकारिता से जुडे संगठनों के प्रतिनिधि, उद्योगों के प्रतिनिधि एवं तकनीकी विशेषज्ञ भी इस समिति के सदस्य होंगे। प्रभारी सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन इसके सदस्य-सचिव होंगे।

8.2- प्रशासकीय विभाग स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु अप्रेजल समिति

इस नीति के अंतर्गत शासन स्तर पर प्री-अप्रेजल समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु प्रभारी सचिव, दुग्ध विकास विभाग की अध्यक्षता में अप्रेजल समिति गठित होगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाय। संबंधित विभागों के अधिकारीगण, तकनीकी विशेषज्ञ, वित्त विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे एवं दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

8.3- मुख्यालय स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु प्री-अप्रेजल समिति

इस नीति के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को मुख्यालय स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण हेतु दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 की अध्यक्षता में प्री-अप्रेजल समिति गठित होगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाय। इसमें दुग्धशाला विकास विभाग के अन्य अधिकारीगण, वित्त नियन्त्रक एवं तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य होंगे।

8.4- जनपद स्तर पर परियोजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

इस नीति के अंतर्गत किये जा रहे क्रियाकलापों का अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा उद्योगबंधु के माध्यम से किया जायेगा। इस कार्य हेतु उद्योगबंधु की

समिति में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी भी सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे।

8.5- तकनीकी उन्नयन/नवीन तकनीक के अन्तर्गत आच्छादित परियोजनाओं की सूची (Shelf of Projects) तैयार करने के लिये शासन द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों के एक समूह (Group of technical experts) का गठन किया जायेगा।

9-नोडल विभाग

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए दुग्ध विकास विभाग, नोडल विभाग होगा।

10- प्रकीर्णः-

10.1- इस नीति के किसी प्राविधान की व्याख्या अथवा उसके बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति सक्षम होगी।

10.2- दुग्ध विकास विभाग द्वारा आवश्यक शासनादेश एवं दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए समयबद्ध रूप से नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

10.3- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022, अधिसूचना की तिथि से 05 वर्षों के लिये प्रभावी होगी। वे इकाईयां, जिन्हें नवीन नीति के लागू होने की तिथि तक उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अंतर्गत विभिन्न अनुदान/रियायतें स्वीकृत की जा चुकी हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के प्राविधानों के अनुसार अवशेष लाभ अनुमन्य होगा।

10.4- किसी भी प्रकार की कठिनाई के निवारण हेतु इस नीति में संशोधन के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम होंगे।

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव,
दुग्ध विकास विभाग।